

FORM NO.III

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)


अंवर सिंह

बनाम

नेतावलगाट

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

19/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज
17-1-25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>अंवर सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>रतन सिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>नेतावलगाट पाखली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>नेतावलगाट पाखली</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... <u>151</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.6600</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नेतावलगाट पाखली</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>151</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.6600</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एड हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> (मीनू कुमार) उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>